**CENTRAL SILK BOARD,**
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala,
बेंगलूरु Bangalore – 560068.

No: CSB-30[2]/Accts/IT/2017-18 Date: 24-07-2019

**CIRCULAR**

Sub: Notification u/s 10[46] of IT Act, 1961 for IT Exemption [PAN NO: AAALC0093M] – Reg.

*****

Based on the application made with the Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, the Notification U/S 10[46] of Income Tax Act, 1961 Dated 20-06-2019 was issued by the CBDT, Dept of Revenue, Ministry of Finance, GOI, New Delhi and the same is enclosed for your kind information and needful.

In view of the above Notification, the income of the Central Silk Board as listed at [a] to [f] of the Notification have been exempted from the income Tax. As such, the Unit Officers are hereby advised to issue the copy of the said Notification to all the concerned Banks/Institutions/Organisations/Party/NRD/Company/NGO/State Govt/ Partnership firm/Individual or any other Legal Authority etc., and ensure that the TDS is not deducted on the income/earnings of the Central Silk Board w.e.f. 01-04-2019.

The interest on the Fixed/Term Deposits of CSB deposited in the bank will have to be credited in full to the account. The TDS already effected by the Banks/Institutions in respect of CSB income earned for the Financial Year 2018-19 [Assessment Year 2019-20] may be communicated to CO, Bangalore with complete details so as to claim the refund by filing Annual Return by CO, Bangalore in this regard.

The Invoice/Receipt raised by the Central Silk Board and its units shall bear the **Notification No: 45/2019. F.No. 300196/3/2019-ITA-I** for the information of the concerned parties so as to enable them to remit the earnings to CSB without deducting the TDS by the Agency/Bank/Institute/Any other Organisation or Party etc., while remitting the earnings to the Board's Account. Wide publicity may please be given to all those dealing with Central Silk Board in this regard.

Encl: As above.

(DR.NARENDAR REBELLY, IRS)
DIRECTOR [FINANCE]

To all the In-charge Officers
of the CSB Delegated Units.

केंद्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru-560068

सं.केरेबो-30(2)/लेखा/आयकर/2017-18 दिनांक : 24.07.2019

# परिपत्र

विषय : आयकर छूट के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अंतर्गत अधिसूचना (पैन संख्या AAALC0093M) के संबंध में।

*****

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को भेजे गए आवेदन के आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(46) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी, इसकी एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

उपरोक्त अधिसूचना की दृष्टि में अधिसूचना के (क) से (च) तक सूचीबद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड की आय को आयकर से छूट दी गई है। अतः एकक के अधिकारियों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि सभी संबंधित बैंक/संस्था/संगठन/पार्टी/एन आर डी/कम्पनी/गैर-सरकारी संगठन/राज्य सरकार/साझेदारी फर्म/व्यक्ति अथवा किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी आदि को उक्त अधिसूचना की प्रति जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 01.04.2019 से केंद्रीय रेशम बोर्ड की आय पर कोई टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है।

बैंक में जमा केरेबो के निश्चित/आवधिक जमा पर ब्याज पूर्ण रूप से खाते में जमा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) के लिए अर्जित केरेबो की आय के संबंध में बैंक/संस्था द्वारा पहले ही काटे गये टीडीएस से संबंधित सूचना केंद्रीय कार्यालय, बेंगलूरु को पूर्ण विवरण सहित दी जाए ताकि केंद्रीय कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा वार्षिक विवरण फाइल करते हुए वापसी के लिए दावा किया जा सके।

केंद्रीय रेशम बोर्ड तथा उसकी इकाइयों द्वारा दिए गए इनवॉयस/रसीद पर सभी संबंधित पार्टियों की सूचना के लिए अधिसूचना सं.45/2019 एफ सं.300196/3/2019-आई टी ए-I रहेगा ताकि एजेंसी/बैंक/संस्थान/कोई अन्य संगठन अथवा पार्टी द्वारा बोर्ड के खाते में आय प्रेषित करते समय टीडीएस काटे बिना केरेबो को आय प्रेषित की जा सके। इस संबंध में केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ कार्य करने वाले सभी ब्यौहारियों में इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

संलग्नः यथोपरि।

(डॉ.नरेद्र रेबेल्ली, आई आर एस)
निदेशक (वित्त)

सेवा में,
केरेबो की प्रत्यायोजित इकाइयों के
सभी प्रभारी अधिकारी

F.No.300196/3/2019-ITA-I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes
(ITA-1 Division)
****

Room No.244-B, North Block, New Delhi
Dated the 26 June, 2019

To,

The Chief Commissioner of Income-tax (Exemptions)
25th Floor, Pratyaksh Kar Bhawan
SPM, Civic Centre, Minto Road
New Delhi-110002

Sub:- Issue and distribution of Notification u/s 10(46) of the Income-tax Act, 1961 in respect of Central Silk Board, Bengaluru (PAN AAALC0093M)-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Notification u/s 10(46) of the Income-tax Act, 1961 in respect of Central Silk Board, Bengaluru (PAN AAALC0093M) for taking necessary action.

Yours faithfully,

Encl: as above

(Jai Dev Sharma)
Section Officer
Tele: 011-23095417, Telefax: 23093070

Copy alongwith copy of notification forwarded to:-

1. The Member Secretary, Central Silk Board, CSB Complex, BTM Layout, Hosur Road, Bengaluru-560068
2. The Commissioner of Income-tax (Exemptions), Bengaluru, 6th Floor, Unity Building Annexe, P. Kalinga Rao Road, Bengaluru-560027.
3. Guard file.

Dir (Fin)

DD(F) (D)

ACS. On file. We need to issue a circular to all the concerned & forward a copy to the parties including banks. 4/7

JD(F)
8.7

08/07.

ACS (D) 08/07

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
CENTRAL SILK BOARD
बेंगलूर/ Bangalore-560 068
8 JUL 2019
सं/No. 479
निपटान की/Disposed on

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20 June, 2019

**S.O.......(E)**.- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Silk Board', Bengaluru, PAN: AAALC0093M a Board constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Grants/Funds received from the Centre/State/NGO or any other Statutory body by Central Silk Board;
(b) Compensation received on account of sale, disposal, auction or acquisition of movable and immovable properties of Central Silk Board;
(c) Royalty or any other income received for the technologies patented and intellectual property rights owned by Central Silk Board;
(d) Penalties and Levies collected under Government Statutes;
(e) Fees/charges/ receipt received on account of services rendered by Central Silk Board as per the provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948) as amended by the Central Silk Board (Amendment) Act, 2006 (42 of 2006) and the Central Silk Board Rules, 1955 as amended by the Central Silk Board (Amendment) Rules, 2015; and
(f) Interest earned on (a) to (e) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Central Silk Board, Bengaluru,-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the assessment year 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024.

[Notification No. 45 /2019, F.No.300196/3/2019-ITA-I]

(Rajarajeswari R.)
Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2019

का. आ... (अ) -केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड', (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड), बंगलुरू, (पैन: एएएएलसी0093एम) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) द्वारा केन्द्र/राज्य/गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) या किसी अन्य सांविधिक निकाय से प्राप्त अनुदान/निधियां;

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) की चल और अचल सम्पत्तियों की बिक्री, निपटान, नीलामी या अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजा;

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी(टेक्नॉलाजी) पेटेंट और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए प्राप्त रायल्टी या अन्य कोई आय.

(घ) सरकारी संविधियों के तहत एकत्रित शास्तियां और उद्ग्रहण(लेवी);

(ड.) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 42) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948(1948 का LXI) और केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई सेवाओं के कारण प्राप्त फीस/प्रभार/प्राप्ति. और

(च) उपरोक्त (क) से (ड.) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंगलुरू,-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी. तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के संबंध में लागू होगी।

(अधिसूचना सं. 45 /2019 फा. सं.300196/3/2019-आईटीए-I)

राजाराजेश्वरी 20.6.19

(राजाराजेश्वरी आर.)

अवर सचिव, भारत सरकार

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1793] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941

No. 1793] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

**का. आ.2005(अ).**—केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केन्द्र सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'केन्द्रीय रेशम बोर्ड', (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड), बंगलुरू, (पैन: एएएएलसी0093एम) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) द्वारा केन्द्र/राज्य/गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) या किसी अन्य सांविधिक निकाय से प्राप्त अनुदान/निधियां;

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) की चल और अचल सम्पत्तियों की बिक्री, निपटान, नीलामी या अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजा;

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड) के स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी(टेक्नॉलाजी) पेटेंट और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए प्राप्त रायल्टी या अन्य कोई आय;

(घ) सरकारी संविधियों के तहत एकत्रित शास्तियां और उद्ग्रहण(लेवी);

(ड.) केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 42) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948(1948 का LXI) और केन्द्रीय रेशम बोर्ड(संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई सेवाओं के कारण प्राप्त फीस/प्रभार/प्राप्ति. और

(च) उपरोक्त (क) से (ड.) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंगलुरू,-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी. तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 45 /2019/फा. सं.300196/3/2019-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2019

**S.O.2005(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Silk Board', Bengaluru, PAN: AAALC0093M a Board constituted by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:—

(a) Grants/Funds received from the Centre/State/NGO or any other Statutory body by Central Silk Board;

(b) Compensation received on account of sale, disposal, auction or acquisition of movable and immovable properties of Central Silk Board;

(c) Royalty or any other income received for the technologies patented and intellectual property rights owned by Central Silk Board;

(d) Penalties and Levies collected under Government Statutes;

(e) Fees/charges/ receipt received on account of services rendered by Central Silk Board as per the provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948) as amended by the Central Silk Board (Amendment) Act, 2006 (42 of 2006) and the Central Silk Board Rules, 1955 as amended by the Central Silk Board (Amendment) Rules, 2015; and

(f) Interest earned on (a) to (e) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Central Silk Board, Bengaluru,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall apply with respect to the assessment year 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024.

[Notification No. 45/2019/ F.No.300196/3/2019-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.21 18:21:43 +05'30'